न्यायालय उपखण्ड अधिकारी दीगोद जिला कोटा (राज0)

मि0नं0	तारीख दायरा	तारीख फैसला
186 / 2019	24.10.2019	14.12.2023

पीठासीन अधिकारी–श्री विजेन्द्र कुमार मीणा(आर.ए.एस.)

उनवान

1– बद्रीलाल आत्मज गणपत जी जाति मीणा निवासी मण्डावरी तह0दीगोद जिला कोटा
2– नन्दबिहारी आत्मज रामलाल
3– चन्द्रप्रकाश आत्मज रामलाल
4– मुकेश आत्मज रामलाल
5– कन्ताबाई पुत्री रामलाल
6– सुखी बाई बेवा रामलाल
जाति मीणा निवासीगण आमोरा तहसील दीगोद जिला कोटा राज0

(वादीगण)

बनाम

1– राज्य सरकार जरिये तहसीलदार दीगोद जिला कोटा राज0

(प्रतिवादीगण)

वादीगण की ओर से – श्री रघुवीर ~~सिंह~~ वैष्णव एडवोकेट
प्रतिवादी की ओर से– तहसीलदार दीगोद

वाद पत्र अनतर्गत धारा 88,89, 188 आर.टी. एक्ट

निर्णय

वादीगण निम्न आधारों पर यह वाद पत्र प्रस्तुत करते है कि:–

यह कि ग्राम ग्राम आमोरा तहसील दीगोद में खसरा नम्बर 172 की 0.55 हेक्टर, खसरा नम्बर 213 की 2.98 हेक्टर, कुल 2 किता की रकबा 3.53 हेक्टर भूमि वादीगण के शामलाती खाते में दर्ज चली आ रही है। नकल जमाबन्दी सम्वत् 2076-- 2079 संलग्न है।

यह कि उपरोक्त भूमि पूर्व में वादी नं0 1 के दादा भूरा के नाम दर्ज चली आ रही थी। दादा भूरा की मृत्यु के बाद उनके वारिसान पुत्र गणपत व रामलाल के नाम दर्ज हुई। खातेदार गणपत व उसके पुत्र रामलाल जी का देहावसान हो जाने पर उनके वारिसान वादी नं0 1 व वादी नं0 2 ता 6 का नाम दर्ज हुआ। वादीगण अपने अपने हिस्से की भूमि के अनुसार काबिज काश्त चले आ रहे है।

यह कि उक्त भूमि के राजस्व रिकार्ड में खातेदारान के नाम के साथ ' शिकमी ' शब्द अंकित चला आ रहा है। तथा उक्त भूमि पर वर्तमान में वादीगण का कब्जा काश्त चला आ

उपखण्ड अधिकारी
दीगोद, जिला कोटा (राज.)

है। इस कारण राजस्व रिकार्ड से ' शिकमी ' शब्द डिलीट किया जाना कानूनन आवश्यक हो गया है।

यह कि उक्त कारण से वादीगण ने प्रतिवादी को उक्त भूमि पर ' शिकमी ' शब्द को हटाने को कहा तो प्रतिवादी के अधिकारियों व कर्मचारियों ने दिनांक 16.09.2019 को राजस्व रिकार्ड में से शिकमी शब्द को हटाने से इन्कार कर दिया।

यह कि उपरोक्त परिस्थितियों में वादीगण के लिये माननीय न्यायालय में घोषणा खातेदारी, दुरूस्ती इन्द्राज का वाद प्रतिवादी के खिलाफ पेश करना आवश्यक हो गया है। इस कारण यह वाद पेश है।

यह कि वाद कारण प्रतिवादी के कर्मचारियों द्वारा राजस्व रिकार्ड में शिकमी शब्द अंकित करने व दिनांक 16.09.2019 को शिकमी शब्द हटाने से इन्कार करने पर पैदा हुआ।

अतः वाद पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि वादीगण का वाद स्वीकार किया जाकर वादीगण के पक्ष में तथा प्रतिवादीगण के विरूद्व इस आशय की आज्ञा व डिक्री पारित फरमाई जावे कि:-

(अ) कि ग्राम आमोरा तहसील दीगोद में खसरा नम्बर 172 की 0.55 हेक्टर, खसरा नम्बर 213 की 2.98 हेक्टर, कुल 2 किता की रकबा 3.53 हेक्टर भूमि के राजस्व रिकार्ड में से ' शिकमी ' शब्द को हटाये जाने का आदेश प्रदान किया जावे तद्नुसार राजस्व रिकार्ड में आवश्यक दुरूस्ती किये जाने की आज्ञा व डिक्री पारित की जावे।

वादीगण की ओर से निम्न फर्द दस्तावेज प्रस्तुत किये गयेः-

1- नकल जमाबंदी ग्राम आमोरा की खाता संख्या 101,सम्वत 2064-2067
2- नकल जमाबंदी ग्राम आमोरा सम्वत 2076-2079
3- नकल जमाबंदी ग्राम आमोरा सम्वत 2043- 2062
4- नकल मिलान क्षेत्रफल
5- निर्णय न्यायालय उपखण्ड अधिकारी दिनांक 23.12.2019 की छाया प्रति

वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को तलब किया गया। प्रतिवादी की ओर से जवाब सरकार प्रस्तुत किया गया जो शामिल फाईल किया गया। प्रकरण में वादी अधिवक्ता की बहस सुनी गयी। प्रकरण को गुणावगुण पर वादीगण को सुना गया। हमने उभय पक्ष को अपने-अपने साक्ष्य सहादत आदि प्रस्तुत करने के पर्याप्त एवं युक्तियुक्त अवसर दिये तथा बाद साक्ष्य हमने उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया। उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत तर्कादि पर विचार किया। बाद बहस पत्रावली का आद्योपान्त गहन मनन अवलोकन किया। पत्रावली में उपलब्ध साक्ष्य पर विचार किया। वादीगण द्वारा प्रस्तुत जमाबंदी में ग्राम आमोरा तहसील दीगोद में सम्वत 2064-2067, सम्वत 2076-2079, सम्वत 2043-2062 की जमाबंदी भू प्रबन्ध विभाग में उक्त आराजी वादीग क्रम 1 व 2 ता 6 के पिता के कब्जे काश्त एवं खातेदारी भूमि है, जिसमे ' शिकमी' खातेदारान के नाम के आगे अंकित हो रहा है। उक्त भूमि वादीगण के सहखातेदारी में दर्ज चली आ रही है। वर्तमान में भी वादीगण ही उक्त विवादित भूमि पर दर्ज हिस्सा अनुसार ही काबिज काश्त चले आ रहे है।

उपखण्ड अधिकारी
दीगोद, जिला कोटा (राज.)

यह कि दि कोटा रेवेन्यू सर्कुलर नं0 3 में जैली/उपकृषक/शिकमी शब्द को डिफाईन किया गया है। जिसके अनुसार शिकमी वह काश्तकार है जो अभिलिखित अभिधारी के प्रसाद पर्यन्त अभिधारी की भूमि पर काश्त करता था। और इस प्रकार काश्त करने का अंकन राजस्व रिकॉर्ड में दि कोटा सर्कुलर नं0 3 के अनुसार लिखा जाता था। इस प्रकार उक्त जैली/उपकृषक/शिकमी काश्तकार को मूल अभिधारी की भूमि पर कभी भी किसी भी प्रकार से विरासतन या हस्तान्तरणीय स्वत्व प्राप्त नही होते थे। हालांकि उक्त कोटा सर्कुलर नं0 3 को राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 263 की द्वितीय अनुसूची के क्रम संख्या 16 के अनुसार निरसीत किया जा चुका है। परन्तु शिकमी बद्रीलाल , रामलाल पुत्रान गणपत का नाम आर टी एक्ट के प्रभाव में आने के उपरान्त नही हटाया गया है। प्रतिवादी ने अपने जवाब में स्पष्ट किया है कि खातेदारान के नाम के सम्मुख शिकमी शब्द हटाने से राजहित प्रभावित नही हो रहा है।

अतः प्रकरण के गुणावगुण पर सम्यक विवेचन अनुशीलन मनन तथा विचार के उपरान्त हम यह पाते है कि वादीगण को वांछित अनुतोष दिये जाने के परिप्रेक्ष्य में प्रतिवादी को कोई आपत्ति नहीं है।

परिणामतः वाद वादीगण स्वीकार किया जाता है। वादीगण को खातेदारी अधिकार दिये जाने एवं शिकमी शब्द को हटाये जाने में राज्य सरकार का किसी प्रकार का अहित नही है, ऐसी स्थिति में ग्राम आमोरा तहसील दीगोद जिला कोटा में स्थित वादीगण के खातेदारी भूमि के खसरा नम्बर 172 की 0.55 हेक्टर, खसरा नम्बर 213 की 2.98 हेक्टर, कुल 2 किता की रकबा 3.53 हेक्टर भूमि में दर्ज ' शिकमी ' हटाया जाकर वादीगण को खातेदार घोषित किया जाता है। तद्नुसार डिक्री जारी की जावे। तहसीलदार दीगोद को उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु तहरीर जारी हो। खर्चा फरीकेन अपना–अपना वहन करेगे।

निर्णय आज दिनांक 14.12.2023 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(विजेन्द्र कुमार मीणा)
उपखण्ड अधिकारी
दीगोद

उपखण्ड अधिकारी
दीगोद, जिला कोटा (राज.)